गांवों में अटल ज्ञान केन्द्र और प्रगति पथ बनाएगी भजनलाल सरकार

5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में सीमेंट-कंक्रीट सड़कें बनेंगी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर उच्चस्तरीय बैठक में ग्रामीण विकास से जुड़े विभागों के अधिकारियों के साथ प्रदेश के गांवों में विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साथ सड़कों पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पर्यावरण, आजीविका और सामुदायिक सुविधाओं का मजबूत एवं टिकाऊ आधारभूत ढांचा तैयार करना है। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने तथा ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय आवश्यकता और जनोपयोगिता के आधार पर कार्य चयन के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को अपने निवास पर उच्चस्तरीय बैठक लेकर ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों और विकास कार्यों की समीक्षा की।

- ग्राम पंचायतों में खेल मैदान; वीबी-जी राम जी योजना में 7.22 लाख श्रमिकों को रोजगार मिलेगा

3219 कि.मी. सड़क निर्माण होगा

मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएमजीएसवाई के चौथे चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 3,219 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। वर्ष 2026-27 में 1500 किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा होगा और शेष कार्य आगामी वर्ष में किए जाएंगे। अटल प्रगति पथ योजना के तहत 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट-कंक्रीट सड़कें बन रही हैं। अब तक 1681 करोड़ रुपये के 764 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 309 पूरे हो चुके हैं। उन्होंने शेष कार्य शीघ्र पूरा करने तथा बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों और राजकीय भवनों की तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए।

वीबी-जीरामजी में 7.22 लाख श्रमिक नियोजित

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में 2.30 लाख अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला है और वर्तमान में 7.22 लाख श्रमिक नियोजित हैं। केवल दो माह में 215 लाख मानव दिवस सृजित किए गए, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 72 प्रतिशत से अधिक रही। उन्होंने योजना के तहत राजस्थान का ऐसा मॉडल विकसित करने को कहा, जिसमें रोजगार के साथ स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हो और स्कूलों, अस्पतालों सहित सार्वजनिक संस्थानों तक बेहतर कनेक्टिविटी को प्राथमिकता मिले।

हर ग्राम पंचायत में खेल मैदान, 457 अमृत संजीवनी पार्क

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि ग्रामीण युवाओं को खेलों के अवसर देने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान बनाए जाएंगे। अब तक 9134 खेल मैदान बन चुके हैं और 2221 का काम शीघ्र पूरा होगा। करीब 228 करोड़ रुपये की लागत से 457 अमृत संजीवनी पार्क, 28342 मॉडल तालाब एवं अमृत सरोवर तथा ब्लॉक स्तर पर 457 नमो नर्सरियां विकसित की जा रही हैं। प्रत्येक नमो नर्सरी से प्रतिवर्ष एक लाख पौधे तैयार होंगे।

11 हजार अमृत पोषण वाटिकाएं

ग्रामीण परिवारों को स्थानीय स्तर पर पौष्टिक फल-सब्जियां उपलब्ध कराने के लिए 550 करोड़ रुपये की लागत से 11 हजार से अधिक अमृत पोषण वाटिकाएं विकसित की जाएंगी। इनमें से 8,501 कार्यों के लिए 237 करोड रुपये की स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं। शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, उद्यानिकी और राजीविका के कन्वर्जेन्स से इनका विकास होगा। स्थानीय उत्पादों के विपणन के लिए 457 अमृत ग्रामीण हाट भी विकसित किए जाएंगे।

2 हजार स्कूलों में नए क्लास रूम

ग्रामीण क्षेत्र के 2000 स्कूलों में 300 करोड़ रुपये की लागत से नए क्लास रूम बनाए जा रहे हैं। विद्यालयों में सामुदायिक शौचालय निर्माण पर करीब 81 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ग्रामीण युवाओं को डिजिटल संसाधन और बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केन्द्र बनाए जाएंगे।

यहां आधुनिक लाइब्रेरी, ई-लाइब्रेरी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, करियर मार्गदर्शन, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण और सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलेगी। अब तक 535 अटल ज्ञान केन्द्रों का निर्माण पूरा हो चुका है।

सोलर पंप, फार्म पौण्ड और तारबंदी

कृषक कल्याण के लिए पीएम-कुसुम योजना के तहत अब तक 1,67,863 सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाए जा चुके हैं, जिससे करीब 4.50 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में सूक्ष्म सिंचाई का लाभ मिल रहा है। वर्ष 2025-26 तक करीब 24.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित हुए और 13.27 लाख किसानों को 4249 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया। राज्य सरकार ने 1.43 लाख कृषि यंत्रों के लिए 373 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है और 640 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए हैं। इस वर्ष 50 हजार कृषि यंत्रों के लिए अनुदान दिया जाएगा। खेतों में जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए 18 हजार फार्म पौण्ड और 8 हजार डिग्गियां बनाई जाएंगी। फसलों को पशुओं से बचाने के लिए 200 लाख मीटर तारबंदी पर भी किसानों को अनुदान मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 35,893 फार्म पौण्ड, 13,522 डिग्गियों का निर्माण और 80 लाख 57 हजार बीज मिनीकिट का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने कृषि विभाग को योजनाओं के धरातलीय क्रियान्वयन की निरंतर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रवीण गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं सहकारिता मंजू राजपाल, शासन सचिव ग्रामीण विकास कृष्ण कुणाल, शासन सचिव पंचायतीराज जोगाराम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

भाजपा के नगरीय विकास संकल्प-पत्र में शहरों को आधुनिक बनाने का खाका

आवासीय भूखंड से लेकर ई-बस, सीवरेज, पार्किंग और कचरा प्रबंधन की कई घोषणाएं

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर भाजपा ने 'नगरीय विकास संकल्प-पत्र' जारी कर शहरों के विकास का रोडमैप सामने रखा है। संकल्प-पत्र में शहरी आमजन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवास, पेयजल, सीवरेज, सफाई, सड़क, यातायात, बिजली, पर्यावरण और रोजगार से जुड़े कई वादे किए गए हैं। पार्टी ने अगले 5 वर्षों में शहरों को आधुनिक, सुविधायुक्त और व्यवस्थित बनाने का लक्ष्य रखा है।

संकल्प-पत्र के अनुसार, अलग-अलग आय वर्ग के लोगों के लिए 1 लाख आवासीय भूखंड आवंटित करने की कार्यवाही की जाएगी। वहीं 7 लाख से अधिक घरों में घरेलू पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।

महिलाओं की सुविधा के लिए राज्य के शहरी क्षेत्रों में 2 हजार पिंक टॉयलेट बनाने तथा नए और बाहरी आवासीय क्षेत्रों में 15 लाख स्ट्रीट लाइट लगाने का भी संकल्प लिया गया है। प्रत्येक निकाय में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त वेंडिंग जोन विकसित किए जाएंगे। जरूरत के अनुसार पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे और नगर निगम व नगर परिषद क्षेत्रों में फूड कोर्ट स्थापित करने की कार्यवाही होगी। पुराने कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के साथ घर-घर कचरा संग्रहण करने वाले वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाने का भी प्रस्ताव है।

- अगले पांच साल में शहरी सुविधाओं के विस्तार का दावा किया भाजपा ने

भाजपा ने दावा किया है कि, सीवरेज व्यवस्था को लेकर अगले 5 वर्षों में 3000 किलोमीटर पुरानी सीवर लाइन की मरम्मत की बात कही है। साथ ही निराश्रित पशुओं के लिए विभिन्न संस्थाओं की जनभागीदारी से शेल्टर होम स्थापित करने और प्रत्येक वार्ड तक एलईडी लाइट की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है।

सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रत्येक निकाय में सीसीटीवी कैमरे, प्रमुख मार्गों का विकास और चौराहों का सौंदर्यीकरण करने का संकल्प है। भवन निर्माण नक्शों की फाइलों का ऑनलाइन प्रक्रिया से 1 सप्ताह में निस्तारण करने, पार्कों में ओपन जिम व योग शिक्षक की व्यवस्था और नगर निगम-नगर परिषद मुख्यालयों पर इनडोर स्टेडियम बनाने की भी योजना रखी गई है।पर्यावरण संरक्षण के तहत नगर वन, 'लवकुश' वाटिकाएं और जनसहयोग से स्मृति वन विकसित करने का प्रस्ताव है। वहीं ट्रैफिक जाम कम करने के लिए रिंग रोड, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हाईटेंशन बिजली लाइनों को भूमिगत करने तथा जलभराव वाले स्थानों पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की योजना बताई गई है। संकल्प-पत्र में बिना सड़क खोदे आधुनिक तकनीक से सड़क और सीवर लाइन की मरम्मत, सीवरेज सफाई के लिए रोबोटिक 3-इन-1 मशीन, युवाओं के लिए रोजगार मेले व ई-लाइब्रेरी, नगर निगमों में इंटर्नशिप, ईवी चार्जिंग प्वाइंट और अभय कमांड सेंटरों को एआई तकनीक से जोड़ने की बात भी कही गई है।

एलआईसी ने 70वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किए दो नए प्लान

"बीमा प्लैटिनम" प्लान में बचत व नियमित आय होगी, जबकि "जीवन रक्षा" प्लान से परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी

मुंबई। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने 70वीं वर्षगांठ पर दो नई योजनाएं बीमा प्लैटिनम (प्लान 770) और जीवन रक्षा (प्लान 894) लॉन्च कीं। एलआईसी के सीईओ एवं एमडी आर. दोराईस्वामी ने इन योजनाओं का शुभारंभ किया।

बीमा प्लैटिनम में प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान प्रत्येक 1000 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर 70 रुपए का गारंटीड एडीशन राशि मिलेगी। प्रीमियम अवधि पूरी होने के पांच वर्ष बाद जीवित रहने पर बेसिक सम एश्योर्ड का 70 प्रतिशत बूस्टर इनकम बेनिफिट और भुगतान अवधि में हर वर्ष 10 प्रतिशत रेगुलर इनकम बेनिफिट मिलेगा। न्यूनतम बीमा राशि 3 लाख है। प्रीमियम भुगतान अवधि 7, 10, 12, 15 और 18 वर्ष है। वहीं दूसरा प्लान "जीवन रक्षा" प्योर रिस्क प्लान है, जिसमें पॉलिसी अवधि में मृत्यु होने पर परिवार को गारंटीड एवं निश्चित लाभ मिलेगा।

प्रवेश आयु 18 से 45 वर्ष, न्यूनतम बीमा राशि 5 लाख रुपए और अधिकतम 24 लाख है। सिंगल, रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम विकल्प उपलब्ध हैं। महिलाओं के लिए विशेष दर और हाई सम एश्योर्ड रिबेट का प्रावधान है। दोनों योजनाओं में अतिरिक्त सुरक्षा के लिए राइडर विकल्प भी उपलब्ध हैं।

खुद के नाम 3 पट्टे जारी करने के मामले में देशनोक के पूर्व पालिका अध्यक्ष पर एसीबी केस

पद के दुरुपयोग और अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप, एसीबी ने जांच के बाद दर्ज किया प्रकरण

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। नगर पालिका देशनोक, जिला बीकानेर के तत्कालीन अध्यक्ष ओमप्रकाश मून्धड़ा के खिलाफ पद का दुरुपयोग कर खुद के नाम पट्टे जारी करने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने प्रकरण दर्ज किया है। मामले में मून्धड़ा के अलावा अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। एसीबी ने जांच के बाद प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है।

एसीबी के अनुसा.र उसके पास प्राप्त परिवाद में आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन पालिका अध्यक्ष ओमप्रकाश मून्धड़ा ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69क के तहत अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने ही हस्ताक्षरों से अपने नाम पर पट्टे जारी किए।

परिवाद में सामने आए तथ्यों के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को मून्धड़ा के नाम से 71.88 वर्गमीटर, 267.14 वर्गमीटर और 42.53 वर्गमीटर क्षेत्रफल के तीन पट्टे जारी किए गए। इनका पंजीयन 11 जनवरी 2022 को कराया गया था।

शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले की जांच की। जांच शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत पूर्वानुमोदन भी प्राप्त किया गया।

एसीबी के मुताबिक जांच में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ओमप्रकाश मून्धड़ा, तत्कालीन अध्यक्ष नगर पालिका देशनोक, जिला बीकानेर और अन्य के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध पाया गया। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(क), 13(2) तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। एसीबी अब मामले में पट्टे जारी करने की प्रक्रिया, संबंधित दस्तावेजों, पद के दुरुपयोग और अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है।

पश्चिम बंगाल से अजमेर पहुंचे दो बांग्लादेशी पकड़े

जयपुर। अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों एवं अन्य घुसपैठियों की पहचान के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अजमेर जिला पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने 25वीं कार्रवाई करते हुए दो संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को दस्तयाब किया। इनमें एक महिला और एक पुरुष शामिल हैं। अभियान के तहत अब तक अजमेर जिले में कुल 59 बांग्लादेशी नागरिकों को दस्तयाब किया जा चुका है।

पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि जिला पुलिस एवं सीआईडी जोन अजमेर की संयुक्त टीम कार्रवाई की है। जहां टीम ने मुखबिर तंत्र, तकनीकी साधनों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर अजमेर के विभिन्न इलाकों में तलाश की।इसी दौरान दरगाह क्षेत्र से दो संदिग्धों को दस्तयाब किया गया। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम हलीमा खातून और रबीउल इस्लाम बताए। दोनों पति-पत्नी हैं और उन्होंने स्वयं को बांग्लादेशी नागरिक बताया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि दोनों पश्चिम बंगाल सीमा के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे। इसके बाद असम और कोलकाता में कुछ समय रहने के बाद ट्रेन से अजमेर पहुंचे। दोनों अजमेर में खानाबदोश के रूप में जीवन यापन कर रहे थे। पुलिस दोनों से पूछताछ कर उनके भारत आने और यहां रहने से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है।

- अब तक अजमेर जिले में 59 बांग्लादेशी नागरिकों को दस्तयाब किया जा चुका है

रेंट कंट्रोल एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मकान मालिक व किराएदार के बीच आकस्मिक झगड़ों की सुनवाई के लिए एसडीएम को अधिकृत करने और रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 की धारा 22-ए व 23(3) की संवैधानिक वैधता को देने से जुड़े मामले में राज्य सरकार व जेवीवीएनएल से जवाब तलब किया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश विपिन सिंह की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता सत्येन्द्र सिंह राघव ने बताया कि रेंट कंट्रोल एक्ट-2001 के अनुसार मकान मालिक और किरायेदार के बीच विवादों के लिए सभी उपखंड मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया गया है। एसडीएम पहले से ही अन्य कई जिम्मेदारियों से जुड़े हुए रहते हैं। याचिकाकर्ता ने आगरा रोड पर तीन मंजिला भवन किराए पर लिया था, लेकिन एक साल पहले मकान मालिक ने दुकानों का बिजली का कनेक्शन काट दिया।

उसने बिजली कनेक्शन बहाली के लिए एसडीएम के यहां पर अक्टूबर 2025 में प्रार्थना पत्र दायर किया था, लेकिन अभी तक उसके प्रार्थना पत्र पर एक भी बार सुनवाई नहीं हुई है है। राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को किराया मामलों की सुनवाई एवं निस्तारण की न्यायिक प्रकृति की शक्तियां देना सही नहीं है। याचिका में कहा गया कि ये अधिकारी पहले से ही विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। ऐसे में किराया संबंधी मामलों का समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण नहीं हो रहा और पक्षकारों को परेशानी हो रही है। याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई नहीं होने से वह बीते अक्टूबर माह से ही बिजली कनेक्शन से वंचित है। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति को जरूरी विद्युत सुविधा से गलत तौर पर वंचित नहीं किया जा सकता। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

30 सितंबर तक प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर "सुरक्षा ऑडिट" होगी : डीजीपी राजीव शर्मा

आमेर में हुई सुरक्षा ऑडिट की तर्ज पर शेष जगहों पर भी कमियां चिन्हित करके दूर किया जायेगा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए राजस्थान पुलिस ने व्यापक कार्ययोजना तैयार करने की कवायद शुरू की है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को पुलिस मुख्यालय में पुलिस और पर्यटन विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें पर्यटन स्थलों की सुरक्षा, यातायात, पर्यटक सहायता बल (टीएएफ), पर्यटन थाने, सीसीटीवी, सहायता बूथ और आकस्मिक चिकित्सा सुविधा सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।

डीजीपी ने 30 सितंबर तक प्रदेश के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों का सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए। आमेर में हुए सुरक्षा ऑडिट की तर्ज पर कमियां चिन्हित कर उन्हें दूर करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा केवल मेलों या विशेष आयोजनों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरे वर्ष पर्यटकों की आवाजाही को देखते हुए स्थायी व्यवस्था विकसित हो।

वहीं खाटूश्यामजी, सालासर बालाजी सहित ऐसे धार्मिक स्थलों पर जहां हर सप्ताह बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, वहां वीकेंड और सामान्य दिनों में भीड़ के अनुरूप पुलिस व टीएएफ तैनात करने के निर्देश दिए गए। लॉन्ग वीकेंड और प्रमुख मेलों में अतिरिक्त पुलिस बल लगाने को कहा गया। खाटूश्यामजी, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, रामदेवरा, गोगामेड़ी, पुष्कर, श्रीनाथद्वारा और सांवरियाजी में पुलिस, प्रशासन और देवस्थान विभाग को समन्वय से भीड़ प्रबंधन करने के निर्देश दिए गए।

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को पुलिस और पर्यटन विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई।

डीजीपी ने टीएएफ को मजबूत करने और उसकी प्रभावी मौजूदगी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। प्रमुख स्थानों पर पुलिस नियंत्रण कक्ष के नंबर, 112 हेल्पलाइन, राजकॉप सिटीजन एप सहित उपयोगी जानकारी प्रदर्शित करने वाली स्टैंडी लगाने और प्रशिक्षित कार्मिकों के साथ सहायता बूथ स्थापित करने को कहा गया।

बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की तर्ज पर एयरपोर्ट पर भी पोस्टर, बैनर, स्टैंडी और एलईडी के माध्यम से पर्यटकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से समन्वय करने के निर्देश दिए गए।

इसके अलावा पर्यटक सहायता बूथों पर विभिन्न भाषाओं में पर्यटन स्थलों की जानकारी उपलब्ध कराने और पर्यटन स्थलों पर बहुभाषी साइन बोर्ड लगाने को कहा गया। विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण ले चुके युवाओं को लैंग्वेज एक्सपर्ट के रूप में सेवाएं देने का सुझाव दिया गया। अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने, स्थानीय कैमरों को निगरानी तंत्र से जोड़ने, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी, आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, महिला पर्यटकों के लिए महिला पुलिसकर्मियों और जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित गाइड उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।

सवाईमाधोपुर और जैसलमेर में पर्यटन थाने स्थापित करने के प्रस्तावों का फॉलोअप करने के निर्देश दिए गए। डीजीपी ने पर्यटन थानों की संख्या बढ़ाने, पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने और पर्यटन क्षेत्र की जरूरत के अनुरूप पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने पर जोर दिया।

आमेर के सुरक्षा ऑडिट और केस स्टडी में सामने आई व्यवस्थाओं को अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी लागू करने के निर्देश दिए गए। डीजीपी ने कहा कि सुरक्षा के साथ स्वच्छता, बेहतर सड़क, पार्किंग, व्यवस्थित आवागमन और यातायात व्यवस्था भी पर्यटक अनुभव का हिस्सा हैं।

जयपुर में देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए हेरिटेज वॉक विकसित करने पर भी चर्चा हुई। इससे पर्यटकों को शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से परिचित कराया जाएगा।

डीजी ट्रैफिक मालिनी अग्रवाल ने पर्यटन स्थलों पर पुलिस की ओर से उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी दी। पर्यटन आयुक्त रुक्मणि रियाड ने विभाग की अनुपालना रिपोर्ट और सुविधाओं की जानकारी देते हुए डीओआईटी के माध्यम से तैयार विशेष एप जल्द लॉन्च किए जाने की बात कही। डीजीपी ने इसे राजकॉप सिटीजन एप और पैनिक बटन से इंटीग्रेट कराने के निर्देश दिए।

पूर्व निर्देशों की पालना में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट को नियमित पेट्रोलिंग के दौरान टूरिस्ट साइट्स भी कवर करने के निर्देश दिए गए हैं। एसपी विजिलेंस वंदिता राणा ने गोवा, तिरुमला सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों के भ्रमण से मिली बेस्ट प्रैक्टिसेज पर प्रस्तुतीकरण दिया। बैठक में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वीके सिंह, नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा सहित पर्यटन विभाग, आरटीडीसी, आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण, नगर निगम और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

जिला प्रमुख के पदों पर ओबीसी प्रतिनिधित्व कम देने पर जवाब मांगा

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला प्रमुख के पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के कम आरक्षण के निर्धारण को लेकर राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग सहित अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश राधेराम गोदारा की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने इन पक्षकारों से पूछा है कि जब जिला प्रमुखों के कुल पद बढ़ाए गए हैं तो ओबीसी के लिए आरक्षित पदों की संख्या में बढोतरी क्यों नहीं की गई है।

याचिका में कहा गया कि साल 2020 में जिला प्रमुखों के 33 पदों में से ओबीसी के लिए पांच सीटे आरक्षित रखी गई थी। वहीं अब जिला प्रमुखों के पद बढकर 41 हो गए हैं। इसके बावजूद ओबीसी वर्ग के लिए पूर्व की तरह पांच सीटे ही आरक्षित रखी गई हैं। याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय 50 फीसदी आरक्षण की संवैधानिक सीमा के भीतर रहते हुए ही जिला प्रमुख पदों पर ओबीसी आरक्षण की नए सिरे से पुनर्गणना की जाए और इस वर्ग को पंचायती राज व्यवस्था में उनका उचित व न्यायसंगत प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए।

सेंट्रल जेल में विचाराधीन बंदी के पास मिला मोबाइल

जयपुर। लाल कोठी थाना इलाके में स्थित सेंट्रल जेल में विचाराधीन बंदी के पास मोबाइल मिलने का मामला सामने आया है। जेल प्रहरी राजेश सिंह तंवर ने इस संबंध में लालकोठी थाने में मामला दर्ज कराया है।

एसआई श्याम सुंदर ने बताया मंगलवार देर शाम को सेंट्रल जेल के वार्ड नंबर-07 की बैरक नंबर-07 में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वहां बंद विचाराधीन बंदी दिनेश राठी उर्फ अनमोल उर्फ राहुल पुत्र देवेंद्र राठी के पास से गुलाबी रंग का कैचोडा मोबाइल फोन ए-27 बरामद हुआ। एसआई ने बताया कि मोबाइल फोन के साथ उसकी बैटरी और सिम भी बरामद की गई है। मोबाइल मिलने के बाद जेल प्रशासन ने लाल कोठी थाना पुलिस को सूचना दी और कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर मोबाइल फोन जेल के अंदर पहुंचने और उसके इस्तेमाल से जुड़ी परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है।